भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 193

दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए

जल निकायों में अपशिष्ट बहिर्स्राव के मानदंड

193. कुमारी राम्या हरिदार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंत्रालय की 2017 की अधिसूचना में खामियां पाई हैं जिसके अंतर्गत मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) द्वारा जल निकायों में अपशिष्ट बहिर्स्राव के नए मानदंड निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) जलाश्यों को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में पर्यावरण मानकों में किए गए कुछ संशोधनों की पर्यावरणविदों ने आलोचना की है जबकि उनमें से कुछ को न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2017 के सा.का.नि. 1265 (अ) के तहत मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। दिनांक 13.10.2017 से पहले कोई एसटीपी विसर्जन मानक नहीं थे। पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची VI के अनुसार सामान्य विसर्जन मानक लागू थे। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) स्थल विशिष्ट कड़े मानदण्डों को निर्धारित करती है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी सामान्य मानदंडों की तुलना में कड़े मानदण्डों को लागू करने के लिए जल अधिनियम के तहत एसपीसीबी को निर्देश दिए हैं।

उक्त अधिसूचना को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), मुख्य खण्ड पीठ, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी। एनजीटी ने दिनांक 21.12.2018 के आदेश के तहत 2018 के ओ.ए. संख्या 1069 के मामले में अधिसूचित मानकों पर रोक लगा दी और यह उल्लेख किया कि पूर्व-संशोधित मानक लागू होंगे तथा इसकी समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके बाद एनजीटी ने दिनांक 30.04.2019 के अपने आदेश में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि बड़े और महानगरीय शहरों के लिए अनुशंसित मानक देश के बाकी हिस्सों पर भी लागू होंगे और मानक न केवल नए एसटीपी बल्कि अविलंब मौजूदा/निर्माणाधीन एसटीपी पर भी लागू होंगे। मंत्रालय ने वर्ष 2018 के

ओ.ए. संख्या 1069 के मामले में माननीय एनजीटी के दिनांक 30.04.2019 के अंतिम निर्णय संबंधी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों(पीसीसी) द्वारा मल जल शोधन संयंत्रों की अनुपालना के लिए नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। विगत तीन वर्षों में 900 से अधिक बार निगरानी की गई तथा लागू नियमों के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की गई।

(ग) जल निकायों की जल गुणवत्ता मल जल शोधन संयंत्रों के बहि:स्राव सहित विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है। सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी द्वारा 4294 स्थानों पर जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। नहाने के पानी के मानदण्ड (https://cpcb.nic.in/wq,/Primary_Water_ Quality_Criteria.pdf) के संदर्भ में वर्ष 2018 में 351 प्रदूषित नदी खण्डों की पहचान की गई थी। संबंधित राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों (26 राज्यों और 3 संघ शासित प्रशासनों) द्वारा 176 प्राथिमकता वाले खण्डों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। सचिव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा इस कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन और स्राव संबंधी मानकों का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है और बढती हुई पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान तथा नीतियों के साथ बेहतर सुयोजन के लिए इसमें समय-समय पर संशोधन करने की आवश्यकता है। मानकों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न मतों पर विचार करने के लिए हितधारकों से परामर्श किए जाते हैं। नए मानकों को स्थापित करने और मौजूदा मानकों को संशोधित करने संबंधी सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और जोखिम स्वीकार्यता के आधार पर किया जाता है। तथापि, कभी-कभार हितधारक अपनी चिंताओं/मतों को मुखर करने के लिए न्यायालय सहित विभिन्न मंचों की सहायता लेते हैं, यह मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक है।

****

अनुबंध-I

जल निकायों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम :-

(i) केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल निकायों की जल गुणवत्ता को बहाल करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को लागू कर रहा है।

(ii) संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा सहमति प्रक्रिया के तहत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण के विनियमों को कार्यान्वित किया जाता है।

(iii) सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत पर्यावरणीय प्रदूषकों, बहि:स्रावों के निर्वहन (भाग क) और अपशिष्ट जल उत्पादन मानकों (भाग ख) के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों को विकसित करके चिन्हित स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है ताकि सभी औद्योगिक बहि:स्रावों का निर्वहन से पहले शोधन किया जा सके।

(iv) अक्टूबर, 2015 में, सीपीसीबी ने 46 महानगरीय शहरों और 20 राज्यों की राजधानियों के नगर निगमों को 'नदी की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए मल जल शोधन और उपयोग' के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए।

(v) अप्रैल, 2015 में, सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को मल जल के शोधन और उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए।

(vi) सीपीसीबी ने दिनांक 13.8.2019 को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) की अनुपालना न करने की स्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए।

(vii) दिनांक 7 अगस्त, 2020 को सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को मल जल शोधन संयंत्रों की स्वत: निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना हेतु निर्देश जारी किए हैं।

(viii) बहि:स्राव की गुणवत्ता पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन सतत बहि:स्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की जाती है और अनुवर्ती निरीक्षणों तथा कार्रवाईयों के लिए अनुपालना न करने वाली इकाई की पहचान की गई थी ।

(ix) जल निकायों की बहाली/पुनरूदार सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को मार्गदर्शन के रूप में सीपीसीबी द्वारा नदियों सहित जल निकायों की बहाली के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

(x) वर्ष 2010 के दौरान बनाए गए जल निकायों में मूर्तियों के विसर्जन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है और ''जल निकायों में मूर्ति विसर्जन पर संशोधित दिशा-निर्देश'' देश में 01 जनवरी, 2021 से लागू किए गए हैं।

(xi) सीपीसीबी ने सभी हितधारकों को शामिल करते हुए प्रदूषित जल निकायों की बहाली पर दिनांक 30.01.2020 को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

(xii) सीपीसीबी ने आवश्यकता पड़ने पर सतही जल प्रदूषण से संबंधित मामलों में माननीय एनजीटी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(xiii) एएमआरयूटी और रिपेयर, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) योजनाओं के तहत, भारत सरकार मल जल प्रबंधन और प्रदूषित नदियों के कायाकल्प के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लागत साझा करने के आधार पर राज्यों को सहयोग कर रही है।

(xiv) जल निकायों की बहाली के लिए भारत सरकार द्वारा एनएलसीपी, एनआरसीपी (बाद में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण प्रणालियां योजना (एनपीसीए) को एक एकीकृत योजना में विलय कर दिया गया है) जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

(xv) नमामि गंगे (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) परियोजना ने गंगा बेसिन के शहरों के लिए गंगा बेसिन के कायाकल्प और मल जल शोधन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अवसंरचनाओं और उपायों को मजबूत किया है।

****